BA- 2, Paper - I (Pol. sc.).

TOPIC - राज्य के नीति निर्देशक तत्व (सिद्धांत)

(Directive Principles of State Policy)

Date - 29.04.2020.

Seema Kumari
Asst. Prof.
Political Science
Rohtas Mahila College, Sasaram.

Scanned with CamScanner

राज्य के नीति निदेशक तत्व

भारतीय संविधान में भाग IV अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित प्रावधान हैं संविधान की इस नवीन विशिष्टता को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।

भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों में समाजवाद, गांधीवाद, पाश्चात्य उदारवाद तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों का अद्भुत समन्वय है।

राज्य के नीति निदेशक तत्व

Art 36 - परिभाषा
Art 37 - इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना
Art 38 - राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा।
Art 39 - राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतियां
39(A) - समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता
Art 40 - ग्राम पंचायतों का गठन
Art 41 - कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक व्यवस्था पाने का अधिकार
Art 42 - काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध
Art 43 - कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि
Art 44 - नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता
Art 45 - बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध
Art 46 - अनु० जाति / जन जातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि।

Scanned with CamScanner

Art 47 - पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक व्यवस्था का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य

Art 48 - कृषि और पशुपालन का संगठन

Art 49 - राष्ट्रीय महत्व के स्थानों, स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण

Art 50 - कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण

Art 51 - अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि

निदेशक सिद्धांतों का वर्गीकरण समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत एवं पाश्चात्य उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत किया जा सकता है :-

- **समाजवादी सिद्धांत** :- लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना Art 38(क), 38(ख) आय की असमानता को दूर करने का प्रयास, Art 38(ग) संसाधनों का बंटवारा सामूहिक हित के लिए
  Art 38(घ) समान कार्य के लिए समान वेतन
  Art 39(ङ) समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता
  Art 43(क) उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी

- **गांधीवादी सिद्धांत** :- Art 40 - ग्राम पंचायतों का गठन
  Art 43 - कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन।
  Art 46 - SC/ST अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि।
  Art 48, Art 47.

- **पाश्चात्य उदारवादी सिद्धांत** :-
  Art 44 - नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता
  Art 45 - 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध

Scanned with CamScanner

Art 50 - कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण
Art 51 - अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि

मौलिक अधिकारों (FRs) और नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के बीच अंतर :-

1. FRs भारत में राजनीतिक प्रजातंत्र को आधार प्रदान करते हैं। DPSP सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र।
2. FRs राज्य के निषेधात्मक कर्तव्य के रूप है अर्थात राज्य की निरंकुश कार्रवाइयों का प्रतिषेध है। DPSP नागरिकों के प्रति राज्य के सकारात्मक कर्तव्य है।
3. FRs न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है वही DPSP नहीं।

नीति निदेशक सिद्धांत का महत्व :-

- Art 37 घोषित करता है कि DPSP देश के शासन में मूलभूत है।
- सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है, नीति निदेशक तत्व सभी आगामी सरकारों के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।
- नीति निदेशक तत्व इन सरकारों की सफलता विफलता के लिए मानदंड प्रस्तुत करता है।

नीति निदेशक सिद्धांत कल्याण का अर्थबोधक है।

Scanned with CamScanner